

शुद्धि पत्र

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि० नैनीताल के कार्यालय पत्रांक सं० 295/10-निर्माण/20-21 दिनांक 3 जून, 2021 को समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित निविदा सूचना की मद संख्या (01) जो कि मुनस्यारी में साइनेज लगाये जाने के सम्बन्ध में है, कि शर्तों में निगम में पंजीकृत निविदादाताओं से ही माँगी गयी थी। निगम में मात्र सिविल एवम् विद्युत के ही निविदादाताओं की ही सभी श्रेणीयों में पंजीकृत किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित कार्य की निविदा हेतु साइनेज के कार्य हेतु शासकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदा में प्रतिभाग किया जा सकता है। अतः वर्णित निविदा की विक्रय तिथि दिनांक 21/06/21 से 26/06/21 तक तथा निविदा दिनांक 28/06/21 को अपराह्न 1.00 बजे तक डाली जायेगी तथा 28/06/21 को 2 बजे खोली जायेगी।

निविदा विक्रय एवम् डाले जाने, खोले जाने का स्थल पूर्ववत् रहेगा।

शर्तें निम्नानुसार हैं।

- 1-पंजीकृत प्रमाण पत्र।
- 2-विगत तीन वर्षों में किये गये कार्य का अनुभव।
- 3-निविदादाता को जी०एस०टी०, आयकर प्रमाण पत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसकी छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 4-निविदा के साथ रू० 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रू० 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्नकरना आवश्यक है।
- 5-अपूर्ण, सर्शत एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी।
- 6- निविदा में मात्राएँ घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 7-अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।
- 8-अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगाना आवश्यक है।
- 9-निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23-999-11/96लो.नि.वि. के अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्रावधानों अनुसार की जायेगी।
- 10-यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 11-सभी कार्यों में निगम पर धन उपलब्धताअनुसार ही कार्य करवाये जायेंगे।
- 12-धरोहर धन राशि के स्थान पर निविदादाता द्वारा Bid Security Declaration संलग्न करना अनिवार्य है।
- 13-निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।
- 14-निविदा की दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी, जो कि अंक एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य है।
- 15- कार्य के लिये ICR Approved Contractor प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 16- कार्य को करने वाली फर्म द्वारा अनुबन्धित कार्य का 2 वर्ष अनुरक्षण Maintenance करना अनिवार्य होगा।
- 17- कार्य के लिए सभी साइनेज आईटम IRC/IS कोड के अनुसार होंगे।
- 18- कार्य के लिए सप्लाइर/फर्म को उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट नियमावली का पालन करना होगा।
- 19- कार्य के लिए मैटीरियल/प्रोडक्ट का टैस्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।

महाप्रबन्धक